राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग
DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY
खनिज भवन, उदयपुर – 313 001 / Khanij Bhawan, Udaipur – 313 001
दूरभाष / Phones: 2415091.95, फेक्स /Fax: 0294 . 2410 526

क्रमांकः निदे/प.2/कास/नीलामी/2017/1157 दिनांक 19.6.2017

अप्रधान खनिज रियायत नियमावाली, 2017 के तहत अप्रधान खनिजों के प्लॉटस तैयार करने संबंधी गाईड लाईन

अप्रधान खनिजों की नीलामी हेतु प्लॉट्स चिन्हित करने एवं ई–नीलामी हेतु तैयार करने हेतु अपनाई जाने वाली कार्य पद्धति निम्नानुसार रहेगी :–

1) खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता व वरिष्ठ भूवैज्ञानिक कार्यालयों द्वारा आवंटन योग्य अप्रधान खनिज के क्षेत्रों का चिन्हिकरण किया जावें।
2) क्षेत्र की भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट प्राप्त कर खनिज की उपलब्धता सुनिश्चित की जावें ।
3) क्षेत्र का अद्यतन राजस्व रिकार्ड प्राप्त किया जावें ।
4) मौके पर डी.जी.पी.एस. सर्वे किया जाकर प्लॉट बनाया जाकर डेलिनियेशन किया जाये जो कि नियमित आकृति में हो व शिड्युल–प्रथम में अंकित न्यूनतम सीमा से कम क्षेत्रफल का न हो । प्लॉट के प्रत्येक पीलर के डी. जी.पी.एस से कोर्डिनेट लिये जावें । प्रस्तावित डेलिनियेशन क्षेत्र की मौका स्थिति की रिपोर्ट संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता द्वारा की जावें ।
5) उक्त प्लॉटो का राजस्व रिकार्ड पर सुपरइम्पोजिशन किया जावें तथा प्रत्येक प्लॉट में आने वाली भूमि की किस्म व क्षेत्रफल की गणना की जावें।
6) प्रमाणित जी.टी.शीट अनुसार वन क्षेत्र से 500 मीटर से अधिक दूरी होने पर वन भूमि से दूरी की रिपोर्ट प्रमाणित जी0टी0शीट के अनुसार ली जावें। यदि 500 मीटर से कम दूरी होने पर प्रस्तावित क्षेत्र वन क्षेत्र में नही आने की पुष्टि का प्रमाण पत्र संबंधित मण्डल वन अधिकारी/उपवन संरक्षक से प्राप्त किया जावें ।

उक्तानुसार प्लॉटस तैयार किया जाकर खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता द्वारा पूर्ण प्रस्ताव निम्न दस्तावेजो के साथ संबंधित अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं संबंधित अधीक्षण भूवैज्ञानिक को भिजवाया जावेः–

- राजस्व विभाग के साथ किये गये संयुक्त सर्वेक्षण की मौका रिपोर्ट ।
- खसरा ट्रेस पर प्लॉटो का सुपर इम्पोज नक्शा एवं जमाबंदी ।
- खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता की मौका स्थिति की रिपोर्ट ।

- टोपोशीट (1: 50,000 स्केल पर) पर लोकेशन नक्शा व पीलर्स के कोडिनेटस का विवरण ।
- खनिज उपलब्धता रिपोर्ट ।
- वन भूमि से दूरी की सूचना ।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्तावों पर अधीक्षण खनि अभियन्ता व वरिष्ठ भूवैज्ञानिक द्वारा संयुक्त परीक्षण कर आवश्यक हो तो मौका निरीक्षण किया जावें । उक्त प्रस्तावों को संबंधित अधीक्षण खनि अभियन्ता द्वारा ई–नीलामी हेतु निदेशालय के नीलामी प्रकोष्ठ को प्रेषित करेगे व प्रति संबंधित जोन के अतिरिक्त निदेशक (खान) को पृष्ठांकित करेगे। यदि अतिरिक्त निदेशक (खान) का कोई भिन्न मत है तो वे तीन दिवस में सीधे ही निदेशालय के नीलामी प्रकोष्ठ को प्रेषित करेगे अन्यथा उनकी सहमति मानी जावेंगी । पत्र की प्रति प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान) जयपुर को पृष्ठांकित की जावें ।

19-6-17

(डी.एस.मारू)
निदेशक

क्रमांक निदे/प 2/कास/नीलामी/2017/1158-1237 **दिनांक** 19.6.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त निदेशक (खान), जयपुर/कोटा/जोधपुर/उदयपुर/सतर्कता के.का., उदयपुर/पर्यावरण एवं विकास, के.का., उदयपुर ।
2. अतिरिक्त निदेशक (भू–विज्ञान) मुख्यालय, के.का., उदयपुर/बीकानेर/जोधपुर /जयपुर/उदयपुर/कोटा ।
3. अधीक्षण खनि अभियन्ता, मुख्यालय I/II/जयपुर/अजमेर/जोधपुर/उदयपुर /भीलवाड़ा/राजसमंद/कोटा/भरतपुर /बीकानेर ।
4. खनि अभियन्ता, जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/भरतपुर/करौली/धौलपुर /अलवर/कोटा/रामगंजमण्डी/बून्दी–I/II/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/ नागौर/सोजत/उदयपुर/राजसमन्द–I/II/आमेट/भीलवाडा/चित्तोडगढ/ प्रतापगढ/बिजौलिया/झुंझुनू/ब्यावर/जालोर/बाडमेर/श्रीगंगानगर/डुंगरपुर /बांसवाडा/जैसलमेर ।
5. सहायक खनि अभियन्ता, टौक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/गोटन/ सलूम्बर/ऋषभदेव/निम्बाहेडा/सवाईमाधोपुर/बांरा/दौसा/रूपवास/ हनुमानगढ/चुरू/नीमकाथाना/सावर ।
6. नोडल अधिकारी, डी.एम.जी.ओ.एम.एस., के.का., उदयपुर को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित है ।
7. डी.सी. उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/ग्रेनाईट/रूल्स एण्ड पॉलिसी ।
8. रक्षित पत्रावली ।

(ओम प्रकाश काबरा)
अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु.–III)